सप्तदश माला, खंड 23, अंक 20

सोमवार, 27 मार्च, 2023
6 चैत्र, 1945 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 23 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

ममता केमवाल

संयुक्त सचिव

अमर सिंह

निदेशक

केशव चन्द्र झा

संयुक्त निदेशक

मनोज कुमार सिंह

उप निदेशक

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 23, ग्यारहवां सत्र, 2023 / 1945 (शक)
अंक 20, सोमवार, 27 मार्च, 2023 / 6 चैत्र, 1945 (शक)

विषय **पृष्ठ संख्या**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 361 से 380 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 4141 से 4370 10

सभा पटल पर रखे गए पत्र 11-34

राज्य सभा से संदेश 35-37
और
राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित विधेयक

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति
10वां प्रतिवेदन 38

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
106वां से 117वां प्रतिवेदन 38

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति
19वां प्रतिवेदन 39

राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान की स्थापना के बारे में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 57 के संबंध में दिनांक 09.12.2022 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण के बारे में विवरण 40-52

नियम 377 के अधीन मामले 53-72

(एक) जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत 53-54

(दो) 1,80,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता
श्री संजय भाटिया 55

(तीन) झारखंड के धालभूमगढ़ में हवाई अड्डे की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता
श्री बिद्युत बरन महतो 56-57

(चार) छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बागवानी परियोजनाएं और क्रियाकलाप शुरू करने और उन्हें बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता
श्री चुन्नीलाल साहू 58

(पांच) गाड़ी संख्या 54039-54040 की सेवाओं को बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री नायब सिंह सैनी 59

(छह) चेतावनी युक्त लेबल के साथ कड़े और अनिवार्य एफ.ओ.पी.एल. विनियमों को लागू किए जाने की आवश्यकता

डॉ. संघमित्रा मौर्य 60

(सात) असम के महान सुधारक श्री शंकर देव द्वारा स्थापित 'सत्र' और 'नामघर' उपदेश संस्थाओं के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण की आवश्यकता

श्रीमती क्वीन ओझा 61

(आठ) झारखंड के गुमला एवं लोहरदगा जिलों में वृक्षों की अवैध कटाई के कारण घटते हरित क्षेत्र के बारे में

श्री सुदर्शन भगत 62

(नौ) कामकाजी महिलाओं एवं छात्राओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति बनाए जाने के बारे में

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव 63

(दस) छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों को फिर से खोले जाने की आवश्यकता

श्री सुनील कुमार सोनी 64

(ग्यारह) सीधी जिला मुख्यालय पर एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और एक महिला अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रीती पाठक 65

(बारह) आर.आई.एम.एस., रांची में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का विस्तार कर इसे एम्स के रुप में अपग्रेड किए जाने की आवश्यकता

श्री संजय सेठ 66

(तेरह) देश में निर्धन लोगों को निःशुल्क राशन फिर से दिए जाने की आवश्यकता

श्री जसबीर सिंह गिल 67

(चौदह) ग्रामीण डाक सेवकों को न्यूनतम पेंशन राशि प्रदान किए जाने के बारे में

श्री सु. थिरुनवुक्करासर 67

(पंद्रह) केरल के तीर्थ केंद्रों को प्रसाद योजना में शामिल किए जाने के बारे में

श्री बैन्नी बेहनन 68

(सोलह) गंगा नदी के किनारे घाटों के विकास के बारे में

श्री सुनील कुमार मंडल 69

(सत्रह) बिहार के सुपौल जिले से पटना और दिल्ली के लिए रेलगाड़ियां चलाए जाने और राज्य में ललितग्राम से फारबिसगंज तक रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री दिलेश्वर कामैत 70

(अठारह) कोसी एवं अन्य नदियों में बाढ़ आने के कारण खगड़िया संसदीय क्षेत्र में जलभराव की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

चौधरी महबूब अली कैसर 70-71

(उन्नीस) रामनाथपुरम में सांसद आदर्श ग्राम योजना स्कीम के अन्तर्गत कतिपय गांवों के विकास के बारे में

श्री के. नवासखनी 72

वित्त विधेयक, 2023 73

राज्य सभा द्वारा किया गया संशोधन

विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव 73-74

श्रीमती निर्मला सीतारमण 75

संशोधन पर सहमति 75

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन के प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

<u>सोमवार, 27 मार्च, 2023 / 6 चैत्र 1945 (शक)</u>

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

… (व्यवधान)

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं सदन को गरिमा से चलाना चाहता हूँ।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

<u>पूर्वाह्न 11.0½ बजे</u>

इस समय, श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री टी. एन. प्रथापन, श्री बी. मणिक्कम टैगोर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (व्यवधान)

---

[*]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न सं. 361 से 380

अतारांकित प्रश्न सं. 4141 से 4370)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न चार बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

[*] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 4.00 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न चार बजे पुनः समवेत हुई।

(श्रीमती रमा देवी *पीठासीन हुईं*)

… (व्यवधान)

<u>अपराह्न 4.0½ बजे</u>

इस समय, श्री टी. एन. प्रथापन, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है।

… (व्यवधान)

<u>अपराह्न 4.01 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2 – श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदया, श्री राव इंद्रजीत सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया,देखें संख्या एल.टी.9313/17/23]

(3) (एक) विनिधानकर्त्ता शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विनिधानकर्त्ता शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विनिधानकर्त्ता शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया,देखें संख्या एल.टी.9314/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदया, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 25 की उप-धारा (3) के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति, वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन और अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2023 जो 21 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 114(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (पदेन सदस्य के अलावा अध्यक्ष या सदस्य को हटाने की रीति) नियम, 2023 जो 21 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 115(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (आयोग के अन्य सहयोजित सदस्य) नियम, 2023 जो 21 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 116(अ) में प्रकाशित हुए

थे।

(चार) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (उप-समितियों के पदेन सदस्य के अलावा, सदस्य को संदेय भत्ता) नियम, 2023 जो 21 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 117(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया,देखें संख्या एल.टी.9315/17/23]

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 4027(अ) जो 14 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क और पनपथा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 4031(अ) जो 14 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा घाटीगांव हुकना वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 4029(अ) जो 14 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 4030(अ) जो 14 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सोन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 2538(अ) जो 9 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ. 2605(अ) जो 11 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा रातापानी और सिंघोरी वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ. 2811(अ) जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा संजय राष्ट्रीय पार्क और संजय दुबरी वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(आठ) का.आ. 3027(अ) जो 13 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा माधव राष्ट्रीय पार्क पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ. 3028(अ) जो 13 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बागदरा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(दस) का.आ. 2669(अ) जो 17 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा डायनासोर राष्ट्रीय पार्क पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ. 3064(अ) जो 18 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा घुघुआ फॉसिल राष्ट्रीय पार्क पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का.आ. 3063(अ) जो 18 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा करेरा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) का.आ. 3082(अ) जो 21 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(चौदह) का.आ. 3133(अ) जो 27 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(पंद्रह) का.आ. 3777(अ) जो 30 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वन विहार नेशनल पार्क अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(सोलह) का.आ. 35(अ) जो 3 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ओरछा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(सत्रह) का.आ. 1902(अ) जो 14 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खिओनी वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(अठारह) का.आ. 3689(अ) जो 27 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(उन्नीस) का.आ. 4009(अ) जो 6 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पेंच नेशनल पार्क और पेंच मोगली वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(बीस) का.आ. 796(अ) जो 21 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(इक्कीस) का.आ. 2935(अ) जो 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खरमौर (सरदारपुर) अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(बाईस) का.आ. 1198(अ) जो 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कान्हा एनपी और फेन अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(तेईस) का.आ. 1192(अ) जो 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2538(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस) का.आ. 3653(अ) जो 9 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 मार्च, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1198(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पच्चीस) का.आ. 4617(अ) जो 9 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया,देखें संख्या एल.टी.9316/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया,देखें संख्या एल.टी.9317/17/23]

(3) (एक) सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया,देखें संख्या एल.टी.9318/17/23]

(5) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया,देखें संख्या एल.टी.9319/17/23]

(7) (एक) राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया,देखें संख्या एल.टी.9320/17/23]

(9) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया,देखें संख्या एल.टी.9321/17/23]

(11) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.9322/17/23]

(13) (एक) खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया,देखें संख्या एल.टी.9323/17/23]

(15) (एक) केंद्रीय हिमालयी संस्कृति शिक्षण संस्थान, दाहुंग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय हिमालयी संस्कृति शिक्षण संस्थान, दाहुंग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[अनुवाद] [ग्रंथालय में रखा गया,देखें संख्या एल.टी.9324/17/23]

(17) (एक) [हिन्दी] केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया,देखें संख्या एल.टी.9325/17/23]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 931(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[अनुवाद] [ग्रंथालय में रखा गया,देखें संख्या एल.टी.9326/17/23]

(2) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/127 जो 15 मार्च, 2023 के भारत

के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कतिपय शर्तों के अध्यधीन एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड की मान्यता का नवीनीकरण 17 जनवरी, 2023 से एक वर्ष के लिए किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया,देखें संख्या एल.टी.9327/17/23]

(3) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धन-शोधन (रिकार्ड का रखरखाव) संशोधन नियम, 2023 जो 7 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1074(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[अनुवाद] [ग्रंथालय में रखा गया,देखें संख्या एल.टी.9328/17/23]

(4) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्का निर्माण (इंटरनेशनल इयर ऑफ मिलेट्स, 2023 के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023 जो दिनांक 15 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 189(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (श्री नंदमूरी तारक रामा राव के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2023 जो दिनांक 20 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 202(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[अनुवाद] [ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9329/17/23)]

(5) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रेल) (अनुपालन लेखापरीक्षा) (2022 का संख्यांक 35-खंड दो)।

(दो) एकीकृत वस्त्र पार्कों की योजना संबंधी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार-वस्त्र मंत्रालय (अनुपालन लेखापरीक्षा) (2023 का संख्यांक 2)।

(तीन) मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (आर्थिक और सेवा मंत्रालय-सिविल) (अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां) (2023 का संख्यांक 1)।

(चार) मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) सेना और आयुध निर्माणियां (2023 का संख्यांक 6)।

(पांच) वर्ष 2021-2022 के लिए रक्षा सेवाओं के संघ सरकार विनियोग लेखें।

(छह) आयुध निर्माणियों में छोटे हथियारों का निर्माण संबंधी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) आयुध निर्माणियां (2023 का संख्यांक 5) (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

[अनुवाद] [ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 4330/17/23)]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) समग्र शिक्षा, गुजरात स्कूल शिक्षा परिषद, गांधी नगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, गुजरात स्कूल शिक्षा परिषद, गांधी नगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया,देखें संख्या एल.टी.9331/17/23]

(3) (एक) [हिन्दी] समग्र शिक्षा, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) समग्र शिक्षा, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया,देखें संख्या एल.टी.9332/17/23]

(5) (एक) समग्र शिक्षा, जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण [ग्रंथालय में रखा गया,देखें संख्या एल.टी.9333/17/23]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9334/17/23)]

(3) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9335/17/23)]

(5) (एक) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9336/17/23)]

(7) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9337/17/23)]

(9) (एक) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9338/17/23)]

(11) (एक) [हिन्दी] राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9339/17/23)]

(13) (एक) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9340/17/23)]

(15) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9341/17/23)]

(17) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कुर्नूल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कुर्नूल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) [अनुवाद] भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कुर्नूल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9342/17/23)]

(19) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9343/17/23)]

(21) (एक) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9344/17/23)]

(23) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान, नागपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9345/17/23)]

(25) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान, बोध गया के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान, बोध गया के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9346/17/23)]

(27) (एक) [हिन्दी] भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9347/17/23)]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड़): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (आई.आई.बी.आई. के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आई.आई.बी.आई. का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 31.12.2022 को समाप्त तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (आई.आई.बी.आई. के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आई.आई.बी.आई. का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 31.12.2022 को समाप्त तिमाही के लिए परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9348/17/23)]

(2) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 2023 जो 21 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं.पी.एन.बी./एच.आर.डी./डी.ए.सी./डी.एंड.ए./2022-23 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2023 जो 1 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आई.बी./जी-9/1/2022-23(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9349/17/23)]

<u>अपराह्न 4.03 बजे</u>

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित विधेयक *

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:-

(i) " राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धो के अनुसरण में , मुझे जम्मू और कश्मीर विनियोग (सं. 2) विधेयक, 2023 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 21 मार्च, 2023 को हुई बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफ़ारिशों के लिये भेजा गया था, को वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ हैं कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है। "

(ii) " राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धो के अनुसरण में , मुझे जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2023 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 21 मार्च, 2023 को हुई बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफ़ारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(iii) " राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के प्रावधानों के अनुसार, मुझे विनियोग (सं. 2) विधेयक, 2023 के साथ यहां लौटने का निर्देश दिया गया है, जिसे 21 मार्च, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा पारित किया गया था और इसकी सिफारिशों के लिए राज्य सभा को प्रेषित

---
* सभा पटल पर रखा गया

किया गया था और यह कहने के लिए कि इस सभा में उक्त विधेयक के संबंध में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं की गई है।

(iv) " राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के प्रावधानों के अनुसार, मुझे विनियोग विधेयक, 2023 के साथ यहां लौटने का निर्देश दिया गया है, जिसे 23 मार्च, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा पारित किया गया था और इसकी सिफारिशों के लिए राज्य सभा को प्रेषित किया गया था और यह कहने के लिए कि इस सभा में उक्त विधेयक के संबंध में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं की गई है।"

(v) राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के प्रावधानों के अनुसार, मुझे वित्त विधेयक, 2023 के साथ यहां लौटने का निर्देश दिया गया है, जिसे 24 मार्च, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा पारित किया गया था और उसी दिन अपनी सिफारिशों के लिए राज्य सभा को प्रेषित किया गया था और यह बताने के लिए कि राज्य सभा ने 27मार्च, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि उक्त विधेयक में निम्नलिखित संशोधन किया जाए: -

<u>खंड 174</u>

1. कि पृष्ठ 87 पर, पंक्ति 8 और 9 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया, अर्थात्:-

" (एक) प्रविष्टि (क) के सामने, स्तंभ (3) में, "0.05 प्रतिशत" अंकों और शब्द के स्थान पर "0.0625 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएं; और।

इसलिए , मैं राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 128 के उपबन्धो अनुसार उक्त विधेयक को इस अनुरोध के साथ वापस करता हूं कि

उक्त संशोधन पर लोक सभा की सहमति इस सदन को सूचित की जाए।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा अनुशंसित संशोधन के साथ वित्त विधेयक, 2023 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 4.03½ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

10वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): महोदया, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 4.04 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र संबंधी समिति

106वां से 117वां प्रतिवेदन

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): महोदया, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) का 106वें से 117वें प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को प्रस्तुत करता हूं।

<u>अपराह्न 4.04½ बजे</u>

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

19वां प्रतिवेदन

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): महोदया, मैं 'श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

<u>अपराह्न 4.05 बजे</u>

[अनुवाद]

राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान की स्थापना के बारे में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 57 के संबंध में दिनांक 09.12.2022 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण के बारे में विवरण*

बंदरगाह, पोत और जलमार्ग मंत्री तथा आयुष मंत्री (श्री सर्वानंद सोनोवाल): मैं (एक) राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान की स्थापना के बारे में श्री विनायक राउत द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 57 के दिनांक 09.12.2022 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारणों के बारे में विवरण(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ … (*व्यवधान*)

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया है, देखें संख्या एल.टी. 9312/17/23

12/4/23.

AUTHENTICATED

(SARBANANDA SONOWAL)

Ministry of Ayush

STATEMENT TO BE MADE BY THE MINISTER OF AYUSH CORRECTING THE STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (b) TO (d) OF LOK SABHA STARRED QUESTION NO. *57 RAISED BY SHRI VINAYAK RAUT HON'BLE MEMBER OF PARLIAMENT ANSWERED ON 09/12/2022 REGARDING ESTABLISHMENT OF NATIONAL INSTITUTE OF MEDICINAL PLANTS.

I beg to make a statement to correct the reply to parts (b) to (d) of Lok Sabha Starred Question No. *57 raised by Shri Vinayak Raut, Hon'ble Member of Parliament answered on 09/12/2022.

Question	Previous reply	Revised reply
(b) if so, whether the proposal of the State Government for establishing the said Central project is still pending for approval with the Ministry of AYUSH; (c)if so, the details thereof and the reasons for delay in granting necessary approval for this project; and (d) the time by which the approval for establishment of the National Institute is likely to be granted?	(b) to (d): The National Institute of Medicinal Plants (NIMP) is proposed as new Autonomous Body under Ministry of Ayush and the step-by-step process of setting up of new Institute as an Autonomous Body are as under: i. To seek "in principle" approval of Department of Expenditure ii. To have a DPR prepared iii. To seek approval of Committee on Establishment Expenditure iv. To seek approval of EFC headed by Secretary Finance v. To seek approval of Cabinet Accordingly, the Ministry of Ayush has forwarded the proposal to Department of Expenditure on 1st December, 2022 for seeking "in-principle" approval for setting up of proposed National Institute of Medicinal Plants (NIMP).	(b) to (d): The National Institute of Medicinal Plants (NIMP) is proposed as new Autonomous Body under Ministry of Ayush and the step-by-step process of setting up of new Institute as an Autonomous Body are as under: i. To seek "in principle" approval of Department of Expenditure ii. To have a DPR prepared iii. To seek approval of Committee on Establishment Expenditure iv. To seek approval of EFC headed by Secretary Finance v. To seek approval of Cabinet The proposal is under process.

The correcting statement may be brought to the notice of House.

AUTHENTICATED

(SARBANANDA SONOWAL)

Ministry of Ayush

REASON FOR DELAY IN SUBMITTING CORRECTING STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (b) TO (d) OF LOK SABHA STARRED QUESTION NO. *57 RAISED BY SHRI VINAYAK RAUT HON'BLE MEMBER OF PARLIAMENT ANSWERED ON 09/12/2022 REGARDING ESTABLISHMENT OF NATIONAL INSTITUTE OF MEDICINAL PLANTS.

This error came to our notice towards the end of the 10th Session of current Lok Sabha. As such, the correcting statement is being made now.

अधिप्रमाणित

(सर्बानंद सोणोवाल)

आयुष मंत्रालय

राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (एनआईएमपी) की स्थापना करने के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री विनायक राऊत द्वारा लोक सभा में 09 दिसम्बर, 2022 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 57 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर के संदर्भित विवरण को ठीक करने हेतु आयुष मंत्रालय द्वारा विवरण दिया जाना

मैं, माननीय संसद सदस्य श्री विनायक राऊत द्वारा लोक सभा में 09 दिसम्बर, 2022 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 57 के उत्तर के भाग (ख) से (घ) में ठीक विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूं :

प्रश्न	पूर्व उत्तर	संशोधित उत्तर
(ख) यदि हां, तो क्या उक्त केन्द्रीय परियोजना की स्थापना के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव अभी भी आयुष मंत्रालय के पास अनुमोदन हेतु लंबित है; (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदान करने में देरी के क्या कारण हैं; और (घ) इस राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना के लिए अनुमोदन कब तक दिए जाने की संभावना है?	(ख) से (घ): आयुष मंत्रालय के अंतर्गत नए स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (एनआईएमपी) प्रस्तावित है और स्वायत्त निकाय के रूप में नए संस्थान की स्थापना की चरण-दर-चरण प्रक्रिया निम्नलिखित है: i. व्यय विभाग से "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्राप्त करना ii. डीपीआर तैयार करना iii. स्थापना व्यय संबंधी समिति का अनुमोदन प्राप्त करना iv. सचिव वित्त की अध्यक्षता में ईएफसी का अनुमोदन प्राप्त करना v. मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करना तदनुसार, प्रस्तावित राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (एनआईएमपी) की स्थापना करने हेतु "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आयुष मंत्रालय ने 01 दिसंबर, 2022 को व्यय विभाग को प्रस्ताव अग्रेषित कर दिया है।	(ख) से (घ): आयुष मंत्रालय के अंतर्गत नए स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (एनआईएमपी) प्रस्तावित है और स्वायत्त निकाय के रूप में नए संस्थान की स्थापना की चरण-दर-चरण प्रक्रिया निम्नलिखित है: i. व्यय विभाग से "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्राप्त करना ii. डीपीआर तैयार करना iii. स्थापना व्यय संबंधी समिति का अनुमोदन प्राप्त करना iv. सचिव वित्त की अध्यक्षता में ईएफसी का अनुमोदन प्राप्त करना v. मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करना यह प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

सदन के ध्यान में ठीक विवरण लाया जाए।

अधिप्रमाणित

(सर्बानंद सोणोवाल)

आयुष मंत्रालय

राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (एनआईएमपी) की स्थापना करने के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री विनायक राऊत द्वारा लोक सभा में 09 दिसम्बर, 2022 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 57* के भाग (ख) से (घ) के उत्तर के संदर्भित विवरण को सुधार करके प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण

यह त्रुटि वर्तमान लोक सभा के 10वें सत्र के अंत में हमारे ध्यान आयी थी। ऐसे में, अब सुधारात्मक विवरण दिया जा रहा है।

REVISED

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AYUSH

LOK SABHA
STARRED QUESTION NO. *57
TO BE ANSWERED ON 09th DECEMBER, 2022

ESTABLISHMENT OF NATIONAL INSTITUTE OF MEDICINAL PLANTS

*57 SHRI VINAYAK RAUT:

Will the Minister of AYUSH be pleased to state:

(a) whether the State Government of Maharashtra has submitted a proposal to the Ministry of AYUSH for establishment of a National Institute of Medicinal Plants at Mauje Adali in Sindhudurg District;

(b) if so, whether the proposal of the State Government for establishing the said Central project is still pending for approval with the Ministry of AYUSH;

(c) if so, the details thereof and the reasons for delay in granting necessary approval for this project; and

(d) the time by which the approval for establishment of the National Institute is likely to be granted?

ANSWER

THE MINISTER OF AYUSH

(SHRI SARBANANDA SONOWAL)

(a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO LOK SABHA STARRED QUESTION NO. *57 FOR 9TH DECEMBER, 2022

****

(a): Yes, Sir. There is a proposal for establishment of National Institute of Medicinal Plants under Ministry of Ayush. In this regard, the State Government of Maharashtra has proposed for setting up of National Institute of Medicinal Plants (NIMP) at Mauje Adali in Sindhudurg District of Maharashtra.

(b) to (d): The National Institute of Medicinal Plants (NIMP) is proposed as new Autonomous Body under Ministry of Ayush and the step-by-step process of setting up of new Institute as an Autonomous Body are as under:

i. To seek "in principle" approval of Department of Expenditure
ii. To have a DPR prepared
iii. To seek approval of Committee on Establishment Expenditure
iv. To seek approval of EFC headed by Secretary Finance
v. To seek approval of Cabinet

The proposal is under process.

*****

संशोधित

भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. - 57*

09 दिसम्बर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान की स्थापना

*57. श्री विनायक भाऊराव राऊत:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आयुष मंत्रालय को सिंधुदुर्ग जिले के मौजे अदाली में एक राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त केन्द्रीय परियोजना की स्थापना के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव अभी भी आयुष मंत्रालय के पास अनुमोदन हेतु लंबित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदान करने में देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) इस राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना के लिए अनुमोदन कब तक दिए जाने की संभावना है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 09 दिसम्बर, 2022 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 57* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी हां। आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है। इस संबंध में, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मौजे अदाली में राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (एनआईएमपी) की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया है।

(ख) से (घ): आयुष मंत्रालय के अंतर्गत नए स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (एनआईएमपी) प्रस्तावित है और स्वायत्त निकाय के रूप में नए संस्थान की स्थापना की चरण-दर-चरण प्रक्रिया निम्नलिखित है:

i. व्यय विभाग से "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्राप्त करना
ii. डीपीआर तैयार करना
iii. स्थापना व्यय संबंधी समिति का अनुमोदन प्राप्त करना
iv. सचिव वित्त की अध्यक्षता में ईएफसी का अनुमोदन प्राप्त करना
v. मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करना

प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

*****

ORIGINAL REPLY

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AYUSH

LOK SABHA
STARRED QUESTION NO. *57
TO BE ANSWERED ON 09th DECEMBER, 2022

ESTABLISHMENT OF NATIONAL INSTITUTE OF MEDICINAL PLANTS

*57 SHRI VINAYAK RAUT:

Will the Minister of AYUSH be pleased to state:

(a) whether the State Government of Maharashtra has submitted a proposal to the Ministry of AYUSH for establishment of a National Institute of Medicinal Plants at Mauje Adali in Sindhudurg District;

(b) if so, whether the proposal of the State Government for establishing the said Central project is still pending for approval with the Ministry of AYUSH;

(c) if so, the details thereof and the reasons for delay in granting necessary approval for this project; and

(d) the time by which the approval for establishment of the National Institute is likely to be granted?

ANSWER

THE MINISTER OF AYUSH

(SHRI SARBANANDA SONOWAL)

(a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO LOK SABHA STARRED QUESTION NO. *57 FOR 9TH DECEMBER, 2022

****

(a): Yes, Sir. There is a proposal for establishment of National Institute of Medicinal Plants under Ministry of Ayush. In this regard, the State Government of Maharashtra has proposed for setting up of National Institute of Medicinal Plants (NIMP) at Mauje Adali in Sindhudurg District of Maharashtra.

(b) to (d): The National Institute of Medicinal Plants (NIMP) is proposed as new Autonomous Body under Ministry of Ayush and the step-by-step process of setting up of new Institute as an Autonomous Body are as under:

i. To seek "in principle" approval of Department of Expenditure
ii. To have a DPR prepared
iii. To seek approval of Committee on Establishment Expenditure
iv. To seek approval of EFC headed by Secretary Finance
v. To seek approval of Cabinet

Accordingly, the Ministry of Ayush has forwarded the proposal to Department of Expenditure on 1st December, 2022 for seeking "in-principle" approval for setting up of proposed National Institute of Medicinal Plants (NIMP).

*****

मूल उत्तर

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. - 57*
09 दिसम्बर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान की स्थापना

*57. श्री विनायक भाऊराव राऊत:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आयुष मंत्रालय को सिंधुदुर्ग जिले के नौजे अदाली में एक राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त केन्द्रीय परियोजना की स्थापना के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव अभी भी आयुष मंत्रालय के पास अनुमोदन हेतु लंबित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदान करने में देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) इस राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना के लिए अनुमोदन कब तक दिए जाने की संभावना है?

<u>उत्तर</u>
आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 09 दिसम्बर, 2022 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 57* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी हां। आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है। इस संबंध में, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मौजे अदाली में राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (एनआईएमपी) की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया है।

(ख) से (घ): आयुष मंत्रालय के अंतर्गत नए स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (एनआईएमपी) प्रस्तावित है और स्वायत्त निकाय के रूप में नए संस्थान की स्थापना की चरण-दर-चरण प्रक्रिया निम्नलिखित है:

i. व्यय विभाग से "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्राप्त करना
ii. डीपीआर तैयार करना
iii. स्थापना व्यय संबंधी समिति का अनुमोदन प्राप्त करना
iv. सचिव वित्त की अध्यक्षता में ईएफसी का अनुमोदन प्राप्त करना
v. मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करना

तदनुसार, प्रस्तावित राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (एनआईएमपी) की स्थापना करने हेतु "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आयुष मंत्रालय ने 01 दिसंबर, 2022 को व्यय विभाग को प्रस्ताव अग्रेषित कर दिया है।

*****

[अनुवाद]

<u>अपराह्न 4.06 बजे</u>

नियम 377 के अधीन मामले*

[हिंदी]

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

(एक) जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): भारत सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसके अतिरिक्त यह केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को लागू कर रही है। तथापि जिन क्षेत्रों में इन अनेक योजनाओं को लागू किया जा रहा हैं उनसे संबंधित दिशा निर्देशों में, वहां के ग्रामीणों और नागरिकों द्वारा अनुरक्षण प्रभार के नाम पर, जिसमें जलापूर्ति के लिए विद्युत बिल आदि भी शामिल हैं,के लिए योगदान करने का प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति अवसंरचना और संबंधित स्त्रोत विकास केलिए पूंजी लागत में सामुदायिक योगदान के प्रावधान से संबंधित प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए जिसके तहत किसी गांव के निवासियों द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत को पूंजीगत लागत का 10 प्रतिशत योगदान करने का प्रावधान है। इससे आर्थिक रूप से कमज़ोर ग्रामीणों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है। रखरखाव शुल्क का भुगतान करते समय अनुपालन के मामले में किसी क्षेत्र के चयनित गाँवों के बीच असमानता के उदाहरण मिले हैं। इसलिए, मैं सरकार से जल जीवन मिशन और अन्य योजनाओं के दिशा-निर्देशों में संशोधन करने का अनुरोध करता हूं ताकि ग्रामीणों द्वारा वहन किए जाने वाले रखरखाव या

---
* सभा पटल पर रखे गए माने गए।

पूंजीगत लागत के नाम पर शुल्क को माफ किया जा सके। जल आपूर्ति परियोजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, क्षेत्रीय जलापूर्ति योजनाओं को व्यक्तिगत ग्रामीण योजनाओं में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

(दो) 1,80,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिंदी]

श्री संजय भाटिया (करनाल): केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी परिवारों का चयन आर्थिक, सामाजिक व जातीय जनगणना-2011 के आधार पर किया गया है। इसके अनुसार हरियाणा में 15 लाख 51,798 परिवार आयुष्मान योजना में चिह्नित हुए थे लेकिन इनमें से सिर्फ 9 लाख का डाटा वेरिफाई हो पाया था और इन्हीं 9 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा था लेकिन अब राज्य सरकार के खर्च पर योजना का दायरा बढ़ाया गया और पी.पी.पी. के डाटा के आधार पर आयुष्मान योजना से प्रदेश में अब 28 लाख 89,036 परिवार कवर हो रहे हैं। यानि पहले जहां करीब 9 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा था वहीं अब करीब 20 लाख और परिवार इसमें जोड़े गए हैं। तो कुल मिलाकर लगभग उन्नतीस लाख लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि बीपीएल के अलावा उन लोगों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा मिले जिनकी वार्षिक आय 180000 रूपये या इससे कम है।

(तीन) झारखंड के धालभूमगढ़ में हवाई अड्डे की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर टाटा जो औद्योगिक घराने के नाम से मशहूर है तथा टाटा जैसे बड़े उद्यमी स्थापित हैं। एम.एस.एम.ई. का एक बड़ा सेक्टर भी आदित्यपुर में है और एम.एस.एम.ई. एवं ऑटोमोबाइल सेक्टर में छोटे-बड़े उद्योगों को मिलाकर लगभग दो हजार उद्योग स्थापित हैं तथा यहाँ माइंस का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसलिए केंद्र सरकार ने यहां पर स्थित धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए लगभग सौ करोड़ रुपये आवंटित भी किये है। उक्त एयरपोर्ट की स्वीकृति के बाद जनवरी 2019 में भारत सरकार के द्वारा भूमि पूजन कर शिलान्यास किया गया था। परंतु उक्त एयरपोर्ट का अभी तक वन विभाग के द्वारा एनओसी न मिलने के कारण काम शुरू नहीं हो सका है। उक्त मामले को मैंने दिनांक 7 फरवरी 2023 को लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाया था, जिसका जवाब माननीय राज्यमंत्री नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, जनरल डॉ० वी०के० सिंह जी का पत्र के माध्यम से दिनांक 28 फरवरी 2023 प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र में कहा गया है पर्यावरण मूल्यांकन समिति ने देखा कि प्रस्तावित स्थल जंगलों में पड़ता है जो बड़ी संख्या में हाथियों का निवास स्थान है और 'हाथी गलियारे' के रूप में जाना जाता है। दिनांक 25.9.2020 की बैठक में यह निष्कर्ष निकाला कि प्रस्तावित स्थल हवाईअड्डे के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है तथा समिति वर्तमान स्थल चयन से सहमत नहीं थी और परियोजना के प्रस्ताव को एक वैकल्पिक स्थल का पता लगाने के लिए कहा गया है।

उपरोक्त जवाब से मुझे घोर निराशा हुई है क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि आज तक एक भी हाथी को यहां के लोगों ने देखा नहीं है तो हाथियों का गलियारा कहां से हो जाएगा। अब पता नहीं कौन सी चयन समिति है कब वह गई स्थल निरीक्षण करने इसका भी स्थानीय सांसद होने के नाते मुझे कभी जानकारी नहीं मिली। पूर्व में उक्त स्थान पर वन विभाग के सीसीएफ तीन डीएफओ ने कहा था कोई दिक्कत नहीं है उस वक्त एयरपोर्ट अथॉरिटी के पदाधिकारी भी वहां उपस्थित थे। [अनुवाद] उक्त स्थान के 500 मीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं 100 मीटर की दूरी पर रेलवे लाइन है। पूर्व में भी वन विभाग एवं

एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों द्वारा कम से कम 10 बार उक्त स्थल का निरीक्षण किया था और कहा गया था कि जंगली बांसो का झुंड है जिसे हटा लिया जाएगा।

अतः मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार से वार्ता करके वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण निर्गत कराते हुए धालभूमगढ़ एयरपोर्ट निर्माण की कार्य को प्रारंभ किया जाय, ताकि यहां पर एयरपोर्ट बन जाने से केवल झारखंड ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के खड़गपुर, मिदनापुर, झाड़ग्राम, पुरूलिया और ओडिशा के बारिपदा, मयूरभंज और बालेश्वर भी जमशेदपुर जैसे बड़े शहर से जुड़ जाएंगे।

(चार) छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बागवानी परियोजनाएं और क्रियाकलाप शुरू करने और उन्हें बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): छतीसगढ़ राज्य के मेरे संसदीय क्षेत्र महासमुंद जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, प्रधानमंत्री आकांक्षी जिलों में से एक है। यहाँ की भूमि मृदा, रेतीली और कठोर है, जिसमे खरीफ की फसल भी पर्याप्त मात्रा मे नहीं होती इस क्षेत्र मे सदैव अल्पवर्षा एवं अकाल की स्थिति बनी रहती है जिससे यहाँ के मध्यम और छोटे कृषकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। ऐसी स्थिति में आजीविका के लिए अन्य प्रदेशों में पलायन करना विवश होना है। इसीलिए फसल चक्र परिवर्तन की दिशा मे कृषि कार्य के लिए उद्यानिकी (बागवानी) उपयुक्त होगा जिसके लिए मेरे द्वारा पिछले वित्त वर्ष में विभागीय पत्राचार भी किया गया है। तत्पश्चात मुझे पत्र के माध्यम से सितंबर 2022 तक सम्मिलित होने आश्वस्त किया गया लेकिन वित्तीय बजट 2023-24 पर्यंत तक शामिल नहीं किया गया। अगर सरकार शीघ्र इस दिशा में कदम उठाती है तो निश्चित ही किसान मुख्यधारा से जुड़कर अपनी आर्थिक दशा कों सुधार सकते है, जो अति आवश्यक भी है।

अतः कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि घोषित प्रधानमंत्री आकांक्षी जिला महासमुंद के उपरोक्त विषय को संज्ञान मे लेकर विभाग को शीघ्रातिशीघ्र निर्देशित करने की महान कृपा करें।

(पांच) रेलगाड़ी संख्या 54039-54040 की सेवाएं बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री नायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र): मैं माननीय रेलमंत्री जी का ध्यान अपनी लोकसभा कुरुक्षेत्र के एक महत्पूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ, निवेदन है कि कोरोना से पहले अर्थात् 2019 तक कुरूक्षेत्र से नरवाना साईड वाया कैथल 6 गाडियां तथा नरवाना साइड से वाया कैथल 16 गाड़ियां चलती थी उसके बाद लगभग सभी गाडियां बंद कर दी गई थी। उसके बाद अब दोबारा भारतीय रेलवे द्वारा 10 गाडियां का आना-जाना शुरू करवाया है जिसमें सबसे जरूरी गाडी नं0 54039-54040 को अब तक नहीं चलाया गया है जबकि यह गाडी बहुत जरूरी थी क्योंकि कुरुक्षेत्र से नरवाना साइड कैथल सुबह 9 बजे तथा इसके बाद रात को 7-30 बजे आती है। इस प्रकार नरवाना से सुबह 10 बजे तक तथा इसके बाद रात को 7 बजे आती है इस प्रकार दोनों साईड की गाड़ियों के लिए 9 से 10 घंटे तक सवारियो को इंतजार करना पड़ता है। अतः मेरा माननीय रेलमंत्री से अनुरोध है कि गाडी नं0 54039-54040 की जरूरत को देखते हुए इस गाड़ी को सवारियों की भलाई के लिए व जनता की मांग को करें। देखते हुए इस गाडी को जल्द से जल्द चलवाने की कृपा करें।

(छह) चेतावनी युक्त लेबल के साथ कड़े और अनिवार्य एफ.ओ.पी.एल. विनियमों को लागू किए जाने की आवश्यकता

डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं): भारत पोषण संबंधी विरोधाभासों से भरा देश है जहां कुपोषण के दोहरे बोझ के विशिष्ट मामलों के रूप में अल्प पोषण और मोटापा दोनों साथ साथ मौजूद है भारत में 5 वर्ष से कम आयु के एक तिहाई से अधिक बच्चे नाटे और कम वजन के हैं दूसरी ओर बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है और लगभग 3.4 मिलियन बच्चे या तो सामान्य से अधिक वजन वाले हैं या फिर मोटापे के शिकार है यह पिछले 5 वर्षों से 50% से अधिक की वृद्धि है औसतन 15% भारतीय बच्चे किसी ना किसी प्रकार के मोटापे का सामना कर रहे हैं। [हिन्दी] भारत में 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे की जितनी मृत्यु दर है उनमें से लगभग आधे की मौत का कारण कुपोषण है। वैश्विक अनुमान के अनुसार लगभग 2.3 बिलियन बच्चे और वयस्क सामान्य से अधिक वजन वाले हैं। अधिक मात्रा में शर्करा सोडियम, संतृप्त वसा, और परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट युक्त अति संसाधित खाद्य पदार्थों की बढ़ती उपलब्धता मोटापे की महामारी का प्रमुख कारण है। [अनुवाद] सी.एस.ई. द्वारा किये गए अध्ययन में 33 लोकप्रिय जंकफूड्स के नमूनों को शामिल किया गया था तथा इनमें नमक, फैट, ट्रांसफैट एवं कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा की जाँच की गई। इन खाद्य पदार्थों की उपयुक्तता की जाँच हेतु सी.एस.ई. ने अनुशंसित आहार भत्ता-आर.डी.ए.) को आधार माना। एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जाने वाले आहार में पोषकों की औसत मात्रा को आर.डी.ए. कहा जाता है। भारत में आर.डी.ए. की मात्रा का निर्धारण विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा किया जाता है। [हिन्दी] मैं सरकार से युवाओं और बच्चों के स्वस्थ्य भविष्य के लिए इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग (स्टार द्वारा) के बजाय चेतावनी लेबल सहित मजबूत व अनिवार्य एफ.ओ.पी.एल. नियामक के लाने के आग्रह करती हूँ। जिससे लोगों को पैक्ड फूड के पोषण की पूरी जानकारी के साथ अधिक नमक चीनी और वसा की जानकारी मिल सके।

(सात) असम के महान सुधारक श्री शंकर देव द्वारा स्थापित 'सत्र' और 'नामघर' उपदेश संस्थाओं के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण के बारे में

श्रीमती क्वीन ओझा (गौहाटी): मैं असम के सत्र नामघरों के विषय की वर्तमान स्थिति के बारे मे आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि श्री शंकर देव ने 550 साल पूर्व में समाजिक, सांस्कतिक, और आध्यात्म के क्षेत्र एक नवजागरण की शुरूआत की। उनके द्वारा प्रतिष्ठित नामघर और सत्र समूह असम की सभ्यता स्वरूप है। आज इन सत्र नामधरों की जमीन पर घुसपैठियों ने कब्जा कर रखा है, यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री जी के सबल नेतृत्व मे घुसपैठियों के कब्जे से उन जमीनों को मुक्त कराया है व उनके जीर्णोद्वार मे अहम भूमिका निभाई है।

असम के हर जिले में जितने भी नामघर है उन्हें भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंर्तगत सरंक्षित नही किया गया है। उनका पुर्ननिर्माण व संरक्षण करने व भारत सरकार को अधिक अनुदान देने हेतु मैं अनुरोध करती हूॅ व आशा करती हूँ कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिन्होने नार्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी माना है, उनके आर्शीवाद से इस अमृत युग मे ये शुभकार्य जरूर संपन्न होगा और सरकार की सकारात्मक पहल से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित करके इनका पुर्ननिर्माण कराया जाऐगा।

(आठ) झारखंड के गुमला और लोहरदगा जिलों में वृक्षों की अवैध कटाई के कारण घटते हरित क्षेत्र के बारे में

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): मैं सरकार का ध्यान झारखंड राज्य में लगातार हो रही वनों की अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित करता हूँ। झारखंड राज्य अपने समृद्ध वन सम्पदा के लिए जाना जाता है। घने वन और वन आधारित जीवनशैली यहाँ की पहचान है और यहाँ की अर्थव्यवस्था की धुरी भी है। घने वन झारखंड को देश के सभी राज्यों से अलग पहचान बनाते हैं। वनों के संरक्षण हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा अनेकों नियम भी बनाये गए हैं। वनों के संवर्धन हेतु अब समाज भी जागरूक हुआ है। किन्तु पिछले कुछ दिनों से झारखंड राज्य, विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र के लोहरदगा जिले के पेशरार प्रखंड एवं आसपास के प्रखंडों में बड़े पैमाने पर वनों की अवैध कटाई की जा रही है। जनसंपर्क के समय स्थानीय लोगों द्वारा एवं आये दिन समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती रहती है। स्थानीय प्रशासन भी मूकदर्शक बना रहता है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार भी उदासीन है। यही स्थिति गुमला जिले में भी हैं। झारखंड में वनों की अवैध कटाई का मामला अत्यंत गंभीर होता जा रहा है। इसीलिए यह मुद्दा सदन में उठाना चाहता हूँ, जिससे कि झारखंड के गुमला, लोहरदगा जिले में चल रही वनों की अवैध कटाई बंद हो सके। वनों को अवैध रूप से कटाई करने वालों एवं इससे जुड़े अवैध व्यवसायियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जा सके। सरकार से विनम्र अनुरोध है कि कृपया लोहरदगा एवं गुमला जिले में गत 5 वर्षों में लगातार घटते वनों का पुनः सर्वेक्षण करवाने का कष्ट करें। साथ घटते वन क्षेत्रों के कारण और अवैध कटाई की जाँच हेतु केंद्रीय जाँच टीम भेज कर इसकी गहन समीक्षा एवं सर्वेक्षण करवाने का कष्ट करें एवं राज्य सरकार को यथायोग्य दिशानिर्देश जारी करें। मैं सरकार से झारखंड के वन संरक्षण एवं सघन और समृद्ध वनों के प्रदेश झारखंड की पहचान और संस्कृति को बचाने में जनता के हितों का ध्यान रखते हुए, अविलम्ब कार्यवाही करने की कृपा करें।

(नौ) कामकाजी महिलाओं एवं छात्राओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति बनाए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलनगीर): मासिक धर्म एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है जिसे हमारे समाज में कलंक माना जाता है। महिलाओं को अशुद्ध और अपवित्र माना गया है। महिलाओं में कम शिक्षा दर का यह भी एक कारण है । मासिक धर्म अवकाश की नीति से बालिकाओं को शिक्षित करने संबंधी दृष्टिकोण को बदलने में दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। बिहार की सरकार ने पहले ही 1992 के दौरान एक नीति बनाई है जिसमें महिला सरकारी कर्मचारियों को हर महीने दो दिन के मासिक धर्म अवकाश की अनुमति दी गई है। केरल में, सरकार ने जनवरी 2023 में विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए मासिक धर्म अवकाश की घोषणा की। अधिसूचना में महिला छात्रों को 75 प्रतिशत के बजाय 73 प्रतिशत उपस्थिति के साथ परीक्षा में बैठने का प्रावधान है। दुनिया के कई देशों में महिलाओं के लिए किसी न किसी रूप में मासिक धर्म अवकाश का प्रावधान है। मैं माननीय महिला और बाल विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे एक नीति बनाएं जिसमें कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को सभी कार्यस्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश का लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जाए।

(दस) छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों को फिर खोले जाने की आवश्यकता

(हिन्दी)

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का कोटि कोटि वंदन करता हूँ कि उन्होंने पूरे भारत वर्ष में आम जनता के स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए लगभग देश के सभी जिलों में भारतीय जन औषधि केन्द्रों की स्थापना की है। जनऔषधि केन्द्रों में लगभग 1700 से अधिक दवाएं एवं 280 सर्जिकल संसाधन उपलब्ध हैं। औषधि केन्द्रों में ब्रांडेड दवाओं के औसत मूल्य से लगभग 80-90 प्रतिशत सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं। इस योजना के माध्यम से पिछले 8 वर्षों के दौरान हमारे देश के नागरिकों की अनुमानित 20 हज़ार करोड़ रूपये की बचत हुई है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ में बहुत से शासकीय जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र बंद पड़े हैं। राज्य सरकार द्वारा इन बंद केन्द्रों को पुनः चालू किए जाने हेतु अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है, जिससे सस्ती दवाइयों का लाभ राज्य के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अतः माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र का लाभ छत्तीसगढ़ में मिल सके, इस हेतु छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य अमले को आवश्यक दिशा निर्देश आपके द्वारा किया जाये।

(ग्यारह) सीधी जिला मुख्यालय पर एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और एक महिला अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): मैं अपने संसदीय क्षेत्र सीधी की अति आवश्यक मांग के संबंध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का नितांत अभाव है क्षेत्र बड़ा होने के कारण हमारे क्षेत्र के लोगों को तत्काल व आवश्यक उपचार नहीं प्राप्त हो पाता। मै चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी के जिला मुख्यालय सीधी में एक सुपर स्पेसिलिटी व एक महिला अस्पताल की स्थापना की जाये जिसके फलस्वरूप मेरे संसदीय क्षेत्र वासियों को आवश्यक व तत्काल उपचार प्राप्त हो सके इस हेतु मै और मेरे संसदीय क्षेत्र वासी सदैव हमारी सरकार के आभारी रहेंगे।

(बारह) आर.आई.एम.एस., रांची में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का विस्तार कर इसे एम्स में अपग्रेड किए जाने की आवश्यकता

श्री संजय सेठ (राँची): रिम्स अस्पताल, रांची की लाइफ लाइन है। इस पर सिर्फ झारखंड की राजधानी रांची ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की निर्भरता है। लोग सामान्य बीमारियों से लेकर आपात स्थिति तक इस अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं। सिर्फ झारखंड ही नहीं हमारे सीमावर्ती उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और बंगाल राज्यों से भी मरीज यहां आते हैं। झारखंड बने 22 साल हो गए, इस दौरान आबादी बढ़ी, इस अस्पताल पर दबाव बढ़ा परंतु उस अनुपात में अस्पताल में सुविधाएं नहीं बढ़ी। आज अस्पताल में संसाधनों की कमी के कारण कई बार लोग इलाज के अभाव में किसी और परिस्थिति का शिकार हो जाते हैं। राज्य की उम्मीदों के इस अस्पताल में, अब लोगों की उम्मीदें दम तोड़ रही है। लोग बीमारियों के उपचार के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। निजी अस्पतालों पर उनकी निर्भरता बढ़ रही है। आर्थिक रूप से हमारे नागरिक और भी समस्या ग्रस्त हो रहे हैं।

मेरा सरकार से आग्रह है कि यहां स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाए। मेडिकल की सीटें बढ़ाई जाए। इसे एम्स के रूप में अपग्रेड किया जाए ताकि रांची का गौरव और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सके।

(तेरह) देश में निर्धन लोगों को निःशुल्क राशन फिर से दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): कुछ जिलों में गरीबों को दिए जाने वाले मुफ्त राशन की मात्रा 35 प्रतिशत तक कम कर दी गई है लेकिन कार्डो की संख्या पहले जितनी ही है। इसलिए मैं सरकार से निःशुल्क राशन के पहले के कोटे को बहाल करने का अनुरोध करता हूँ।

(चौदह) ग्रामीण डाक सेवकों को न्यूनतम पेंशन राशि प्रदान किए जाने

श्री सु. थिरुनवुक्करासर (तिरुचिरापल्ली): डाक विभाग के लगभग तीन लाख ग्रामीण डाक सेवक बहुत ईमानदारी और समर्पण के साथ प्रतिकूल मौसम की स्थितियों का सामना करते हुए लगभग 1.50 लाख गांवों में केवल 9,500 रुपये के अल्प वेतन पर सेवाएँ दे रहे हैं। उन्हें सेवानिवृत्ति के समय अनुग्रह राशि के रूप में केवल 1.50 लाख रुपये की मामूली राशि मिलती है। इतनी कम राशि से उन्हें जीविकोपार्जन में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। 65 वर्ष की आयु में और वह भी डाक विभाग में तीन से चार दशक की सेवा देने के बाद उन्हें अपनी वास्तविक मांगों के लिए दर-दर भटकना पड रहा हैं। बुढ़ापे के कारण वे स्वास्थ्य संबंधी अनेक बीमारियों से पीड़ित हैं और उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि न्यूनतम पेंशन की उनकी मांग बहुत सही है।

इसलिए, मैं माननीय संचार मंत्री से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि कृपया उनके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और मानवीय आधार पर उन्हें 5,000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान करें।

(पंद्रह) केरल के तीर्थ केन्द्रों को प्रसाद योजना के तहत शामिल किए जाने के बारे में

श्री बैन्नी बेहनन (चालाकुडी): चेरामन जुमा मस्जिद, कोडुंगल्लूर और सेंट थोमस अंतर्राष्ट्रीय तीर्थस्थल, मलायत्तूर केरल के दो विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। इन दोनों तीर्थस्थलों को भारत सरकार की तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) योजना के तहत शामिल किया गया है। वे परियोजनाएं थीं:

1. चेरामन जुमा मस्जिद, कोडुंगल्लूर, त्रिस्सूर, केरल का विकास।
2. सेंट थोमस अंतर्राष्ट्रीय तीर्थस्थल , मलायटर, एर्नाकुलम, केरल का विकास।

मार्च 2022 के अंतिम सप्ताह में, पर्यटन विभाग के सचिव ने घोषणा की है कि उपरोक्त 2 तीर्थस्थलों को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है और इसकी आधिकारिक घोषणा अप्रैल 2022 के अंतिम सप्ताह तक की जाएगी। केंद्रीय पर्यटन विभाग के अधिकारियों के निर्देश के अनुसार केरल सरकार ने चेरामन जुमा मस्जिद, कोडुंगल्लूर के विकास और सेंट थोमस अंतरराष्ट्रीय तीर्थस्थल, मलायत्तूर के विकास के लिए दोनों परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पहले ही पूरी कर ली है और इन्हें प्रसाद योजना में शामिल करने के लिए अंतिम परियोजना प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंप दी है। प्रसाद योजना में परियोजनाओं को शामिल करने के लिए अभी इन दो परियोजनाओं की अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की वित्तीय मंजूरी के लिए लंबित है। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि उक्त दोनों परियोजनाओं के लिए अविलंब प्रसाद योजना के अन्तर्गत वित्तीय मंजूरी प्रदान की जाए।

(सोलह) गंगा नदी के किनारे घाटों के विकास के बारे में

श्री सुनील कुमार मंडल (बर्धमान-पूर्व): मैं माननीय जल शक्ति मंत्री का ध्यान भागीरथी नदी के पश्चिमी तट पर 'नहाने के घाट' और फेरी घाटों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। नदी के दूसरे तट पर 'भगवान चैतन्य महाप्रभु' का जन्म स्थान स्थित है। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस क्षेत्र में पले-बढ़े और ये स्थान नवद्वीप, मायापुर, शांतिपुर (भगवान कृष्ण की रशयात्रा के लिए प्रसिद्ध स्थान) के रूप मे लोकप्रिय है और इन स्थानों पर उन्होनें अपना शुरुआती जीवन व्यतीत किया। बड़े पैमाने पर हिन्दू समुदाय द्वारा पवित्र नदी, गंगा की पूजा की जाती है और लाखों श्रद्धालु हर दिन इस नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। त्योहारों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। जिन घाटों पर लोग स्नान करते थे, वे परंपरागत ग्रामीण घाट हैं और श्रद्धालुओं को पानी के अंदर जाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह काम बहुत जोखिम भरा होता है और पूरे वर्ष छोटी/बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यदि स्नान घाटों का निर्माण हो जाता है और घाटों पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जाती हैं तो निश्चित रूप से श्रद्धालु इसका बेहतर उपयोग कर सकेंगे और इससे नदी तट का सौंदर्यीकरण भी होगा। इसलिए, मैं सरकार से नदी तट के विकास के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का अनुरोध करता हूं। कटवा, कालना, अग्रद्वीप और दाँइहाट ऐसे कुछ स्थान हैं जहां पर तुरंत ऐसे घाटों का निर्माण किया जाना चाहिए।

(सत्रह) बिहार के सुपौल जिले से पटना और दिल्ली के लिए रेलगाड़ियां चलाए जाने और राज्य में ललितग्राम से फारबिसगंज तक रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): मिथिलांचल तथा कोशी प्रमंडल को जोड़ने के लिए 86 वर्षों के बाद कोशी ब्रिज पर रेल परिचालन लगभग दो वर्ष पूर्व ही प्रारम्भ हो चुका है किन्तु आज तक इस जिलावासियों को राज्य की राजधानी पटना तथा भारत की राजधानी दिल्ली या देश के अन्य भागों में रेल सेवा द्वारा जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। [हिन्दी] अत: जनहित में सुपौल जिला (पू० म० रे०.) से कम से कम एक ट्रेन पटना तथा एक ट्रेन का परिचालन दिल्ली की लिए किया जाये।

पूर्व मध्य रेलवे के ललितग्राम से फारबिसगंज तक का सी० आर० एस० के द्वारा निरिक्षण पूरा कर लिया गया है परन्तु अभी तक रेल यातायात का परिचालन नहीं हुआ है मामला रेलवे बोर्ड में लंबित है अत: आग्रह है की जनहित मे यथा शीघ्र ललितग्राम से फारबिसगंज तक रेल यातायात का परिचालन शुरू किया जाये।

(अठारह) कोसी एवं अन्य नदियों में बाढ़ आने के कारण खगड़िया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जलभराव की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में

चौधरी महबूब अली कैसर (खगड़िया): मेरा लोकसभा क्षेत्र खगड़िया उत्तर बिहार के सबसे बाढ़ ग्रस्त इलाकों में से एक है यहां से बिहार का अभिशाप कहीं जाने वाली कोसी नदी के अलावा छह अन्य विशाल नदियां गुजरती है। मैं भारत सरकार का ध्यान खगड़िया लोकसभा की सबसे बड़ी एवं अत्यंत गंभीर समस्या जलजमाव की ओर दिलाना चाहता हूं। खगड़िया लोकसभा में प्रत्येक वर्ष बाढ़ की अतिवृष्टि इलाके में कटाव के साथ-साथ भयंकर बीमारियां लाती है। बाढ़ की स्थिति खत्म होने के बाद भी हजारों एकड़ में बाढ़ का पानी का जमाव लगा रहता है जिससे किसान उन जमीनों पर खेती नहीं कर पाते हैं। [अनुवाद] जबकि हमारा क्षेत्र मक्का उत्पादन में एशिया में अव्वल रहता है। [हिन्दी] उन जमीनों पर खेती नहीं कर पाने की वजह किसानों को काफी हानि होती है। अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इन किसानों के दुख को देखते

हुए कोई ठोस कदम उठाते हुए एक परियोजना बनाई जाए जिससे मेरे लोकसभा अंतर्गत परबत्ता, बेलदौर खगड़िया, अलौली हसनपुर एवं सिमरी बख्तियारपुर सभी विधानसभा के किसानों को जल जमाव की समस्या से निजात मिले जिससे भारत की रीढ़ कहे जाने वाले किसान चैन की सांस ले सके।

(सत्रह) रामनाथपुरम में सांसद आदर्श ग्राम योजना स्कीम के अंतर्गत कतिपय गाँवों के विकास के बारे में

[अनुवाद]

श्री के. नवासखनी (रामनाथपुरम): मैंने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत अपने रामनाथपुरम निर्वाचन क्षेत्र के पेरियापट्टिनम, वालिनोक्कम और चंदीराकोट्टई गाँवों के विकास के लिए उनका चयन किया और प्रस्ताव प्रस्तुत किया । लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार द्वारा अनुशंसित गाँवों के लिए कोई विकास संबंधी क्रियाकलाप शुरू नहीं किए गए हैं। इस योजना के तहत सुझाए गए गांवों को विकसित करने के लिए क्या पहल की गई हैं? इस योजना के तहत हम कुछ गाँवों को विकसित करने की सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन इस योजना के लाभों के संबंध में स्पष्टता नहीं है और कार्यान्वयन में विलम्ब के कारणों को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। मैंने रामनाथपुरम निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तिरुपुल्लानी पंचायत संघ और पेरियापट्टिनम पंचायत संघ में निवासियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया और इस शिविर में सहायक इंजीनियरों के साथ 19 जरूरी चीजों के लिए अनुमोदन प्रदान किया और इस प्रस्ताव को अनुमोदनार्थ अग्रेषित किया । लेकिन आज की तिथि तक इस प्रस्ताव पर कोई प्रगति नहीं हुई है। यदि किसी अनुशंसित प्रस्ताव पर सम्यक रूप से विचार नहीं किया गया है तो ऐसी योजनाओं की घोषणा क्यों की गई है और धन क्यों आवंटित किया जाता है। इसलिए, मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि कि इस योजना का क्रियान्वयन पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाए और अविकसित गाँवों की भलाई के लिए इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया जाए तथा धन संवितरित किया जाए।

अपराह्न 4.07 बजे

वित्त विधेयक, 2023*

राज्य सभा द्वारा किया गया संशोधन

[हिन्दी]

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 13 (ए), माननीय मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि वित्त विधेयक, 2023 में राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधन पर विचार किया जाए।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं:

1. कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए केंद्र सरकार की वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाए:-

खंड 174

1. कि पृष्ठ 87 पर, पंक्ति 8 और 9 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाए अर्थात्:-

" (एक) प्रविष्टि (क) के सामने, स्तंभ (3) में, " 0.05 प्रतिशत " अंकों और शब्दों के स्थान पर "0.0625 प्रतिशत " अंक और शब्द रखे जाएं; और"-

[हिन्दी]

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"(क)" कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाए।

* विधेयक लोक सभा द्वारा 24 मार्च, 2023 को पारित किया गया और उसी दिन राज्य सभा को भेजा गया। राज्य सभा ने 27 मार्च, 2023 को सिफारिश के साथ विधेयक लौटाया, जिसे उसी दिन लोक सभा के पटल पर रख दिया गया।

खंड 174

1 कि पृष्ठ 87 पर, पंक्ति 8 और 9 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाए अर्थात्:-

" (एक) प्रविष्टि (क) के सामने, स्तंभ (3) में, " 0.05 प्रतिशत " अंकों और शब्दों के स्थान पर "0.0625 प्रतिशत " अंक और शब्द रखे जाएं; और "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति: अब मैं राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधन को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

खंड 174

कि पृष्ठ 87 पर, पंक्ति 8 और 9 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाए अर्थात्:-

" (एक) प्रविष्टि (क) के सामने, स्तंभ (3) में, " 0.05 प्रतिशत " अंकों और शब्दों के स्थान पर "0.0625 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएं; और "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति: माननीय मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करेंगे कि लोक सभा द्वारा यथा पारित, वित्त विधेयक, 2023 में राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधन को स्वीकृत किया जाए।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं:

“कि वित्त विधेयक में राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधन को स्वीकृत किया जाए।

[हिन्दी]

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि वित्त विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन को स्वीकृत किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 2023 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 4.09 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 28 मार्च, 2023 / 7 चैत्र, 1945 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

M.K. Singh 27-03-2023_EN-HI (1).docx

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित